न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 – 32/2023

अनवान : –

1. अनिल कुमार पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा जिला हनुमानगढ़।
2. सीतादेवी पत्नी हुकमाराम पुत्र ओमप्रकाश पुत्री किशनलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा हाल करणपुरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री लाधुराम धायल वादी
श्री जयवीर सिंह प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 15-05-24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 6/9 के मु0न0 56 के किला न0 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 4/4, 7/1, 7/2, 8 ता 10, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 14/4, मु0न0 57 के किला न0 6, 15 की कुल 1.7510है0 जिसमें 1.7270है0 नहरी, 0.0240है0गै0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 किशनलाल के नाम व चक 1 एसडीआर के खाता सं0 14/14 के मु0न0 18 के किला न0 14/2, 14/3, 17/1, 17/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/3, 25/5 की कुल 0.7440है0 जिसमें नहरी 0.6860है0, गै0मु0 रास्ता 0.0420है0 तथा गै0मु0 खाला 0.0460है0 प्रतिवादी सं0 1 किशनलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी अनिल द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। जिनमें वर्तमान जमाबंदी चक 1 एसडीआर खाता 14/14 प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 4 एसडीआर खाता सं0 6/9 प्रदर्श 2 पैतृक जमाबंदी चक 1 एसडीआर प्रदर्श 3 पैतृक जमाबंदी चक 4 एसडीआर 4 शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श 5 सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। जिन्हे सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandelya
Date: 2024.05.21 09:35:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 6/9 के मु0न0 56 के किला न0 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 4/4, 7/1, 7/2, 8 ता 10, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 14/4, मु0न0 57 के किला न0 6, 15 की कुल 1.7510है0 जिसमें 1.7270है0 नहरी, 0.0240है0गै0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 किशनलाल के नाम व चक 1 एसडीआर के खाता सं0 14/14 के मु0न0 18 के किला न0 14/2, 14/3, 17/1, 17/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/3, 25/5 की कुल 0.7440है0 जिसमें नहरी 0.6860है0, गै0मु0 रास्ता 0.0420है0 तथा गै0मु0 खाला 0.0460है0 प्रतिवादी सं0 1 किशनलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। उक्त वाद भूमि जमाबंदी प्रदर्श 3 तथा 4 से पैतृक कृषि भूमि साबित हैं। सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5–6 के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 किशनलाल के वादी अनिल कुमार व प्रतिवादीया सं0 2 सीतादेवी के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना बताया हैं। प्रतिवादीया सं0 2 ने अपना हक हिस्सा अपने भाई वादी अनिल कुमार के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उपरोक्त विवेचानुसार तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 6/9 के मु0न0 56 के किला न0 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 4/4, 7/1, 7/2, 8 ता 10, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 14/4, मु0न0 57 के किला न0 6, 15 की कुल 1.7510है0 जिसमें 1.7270है0 नहरी, 0.0240है0गै0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 किशनलाल के नाम व चक 1 एसडीआर के खाता सं0 14/14 के मु0न0 18 के किला न0 14/2, 14/3, 17/1, 17/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/3, 25/5 की कुल 0.7440है0 जिसमें नहरी 0.6860है0, गै0मु0 रास्ता 0.0420है0 तथा गै0मु0 खाला 0.0460है0 प्रतिवादी सं0 1 किशनलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 किशनलाल की बजाए वादी अनिल कुमार को 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 किशनलाल को 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में वर्णित भूमि यथा खाला–रास्ता यथावत् रहेगें। राजीनामा को निर्णय का भाग पढ़ा जावें। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15-05-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.21 09:35:16 IST
Reason: SelfAttested

15/05/24

(ओ.पी. चन्देलिया), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 32/2023

अनवान : –

2. अनिल कुमार पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

4. किशनलाल पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा जिला हनुमानगढ़।
5. सीतादेवी पत्नी हुकमाराम पुत्र ओमप्रकाश पुत्री किशनलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा हाल करणपुरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ प्रकाश चंदेलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लाधुराम धायल व वकील प्रतिवादीगण श्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 6/9 के मु0न0 56 के किला न0 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 4/4, 7/1, 7/2, 8 ता 10, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 14/4, मु0न0 57 के किला न0 6, 15 की कुल 1.7510है0 जिसमें 1.7270है0 नहरी, 0.0240है0गै0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 किशनलाल के नाम व चक 1 एसडीआर के खाता सं0 14/14 के मु0न0 18 के किला न0 14/2, 14/3, 17/1, 17/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/3, 25/5 की कुल 0.7440है0 जिसमें नहरी 0.6860है0, गै0मु0 रास्ता 0.0420है0 तथा गै0मु0 खाला 0.0460है0 प्रतिवादी सं0 1 किशनलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 किशनलाल की बजाए वादी अनिल कुमार को 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 किशनलाल को 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में वर्णित भूमि यथा खाला–रास्ता भूमि यथावत् रहेगी। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15-05-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

15-05-24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.21 09:35:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner